कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

//रूचि की अभिव्यक्ति ऑफर आमंत्रण सूचना//

क्र./ लोकवि/जोन–3/न0नि0/ 2023/1255 भिलाई, दिनांक 27/02/23

नगर पालिक निगम, भिलाई अंतर्गत् जोन क0–3 क्षेत्रांतर्गत स्थित विभिन्न तालाब सह–उद्यान निर्मित है, जिस स्थिति में है, वार्षिक संधारण, देखरेख, साफ–सफाई एवं सौंदर्यीकरण कार्य हेतु अधिकतम आफर के आधार पर इच्छुक संस्थाओं/एन.जी.ओ, समूहो, एजेंसी व अन्य से रूचि की अभिव्यक्ति के अंतर्गत् आफर दर नियम एवं शर्तो के तहत आमंत्रित की जाती है।

एजेंसी आवेदन पत्र के साथ संस्था का रजिस्ट्रेशन, आयकर प्रमाण–पत्र/पेन कार्ड के साथ रू. **1500.00** नगद जमा कर कार्यालयीन समय में दिनांक **20.03.2023 सांय 5.30** बजे तक नियम/शर्ते की प्रति प्राप्त कर सकते है। उक्त कार्य हेतु ऑफर दर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **28.03.2023 सायं 5.30** बजे रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त की जावेगी।

आफरदाता को चार लिफाफा पद्धति से प्रस्ताव देना होगा, लिफाफा 'अ' में निर्धारित अमानत राशि **रू0 25000.00** का एफ. डी. आर. (किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक) जोन आयुक्त जोन–03 नगर पालिक निगम, भिलाई के नाम से जमा करना एवं लिफाफा 'ब' में एन.जी.ओ., समूह व एजेन्सी का रजिस्ट्रेशन, व्यक्ति का पहचान पत्र व पता संबंधी दस्तावेज, स्वयं हस्ताक्षर का होना अनिवार्य एवं लिफाफा 'स' में 01 वर्ष के लिए अनुमानित राशि व लिफाफा 'द' में भरकर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।

प्राप्त ऑफर दिनांक **29.03.2023** को प्रातः 11:00 खोली जावेगी। नियम शर्ते एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है। दर को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के पास सुरक्षित रहेगा। नियम शर्ते एवं अन्य जानकारी निगम के वेबसाईट **www.bhilainagarnigam.com** एवं संचालनालय की वेबसाईट **www.uad.cg.gov.in** मे देखी जा सकती है।

जोन आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

जोन क्रमांक 03 अंतर्गत तालाबों सह उद्यानों के संधारण,देखरेख, साफ–सफाई एवं सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु रूचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत नियम एवं शर्ते

नगर पालिक निगम भिलाई जोन–03 क्षेत्रांतर्गत स्थित विभिन्न तालाब सह उद्यान निर्मित है, जिसमें आम नागरिकों की मांग एवं स्थल की उपलब्धता अनुसार निर्माण कराया गया है। जिसकी संधारण,देखरेख, साफ–सफाई एवं सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु अधिकतम ऑफर के आधार पर इच्छुक संस्थाओं/एन.जी.ओ., समूहो व एजेंसी व अन्य से रूचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत ऑफर आमंत्रित की जाती है नियम एवं शर्ते निम्नानुसार है।

स. क्र.	स्थल का विवरण	तालाब का नाम
1	बैकुंठधाम, शारदा पारा, श्याम नगर, संत रविदास नगर	शारदा पारा
2	बैकुंठधाम सुंदर नगर	सूर्यकुण्ठ बैकुंठधाम तालाब
3	सेक्टर 02 पश्चिम	सेक्टर 2 तालाब

1. आफरदाता को चार लिफाफा पद्धति में प्रस्ताव देना होगा, लिफाफा 'अ' में निर्धारित अमानत राशि रू. 25000.00 का एफ.डी.आर. जोन आयुक्त जोन–03 नगर पालिक निगम भिलाई के नाम से जमा करना एवं लिफाफा 'ब' में एन.जी.ओ., समूह व एजेंसी का रजिस्ट्रेशन, व्यक्ति का पहचान पत्र व पता संबंधी दस्तावेज, स्वयं हस्ताक्षर का होना अनिवार्य एवं लिफाफा 'स' में 01 वर्ष के लिए अनुमानित राशि व लिफाफा 'द' में भरकर प्रस्तुत करना होगा।
2. ऑफर दाताओं से अपेक्षा की जाती है कि दर निर्धारण करने के पूर्व संबंधित तालाब सह उद्यानं का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेवें।
3. आफरदाता को प्राप्त दर की स्वीकृति होने की सूचना प्राप्ति के 07 दिनों के भीतर इकरारनामा करना होगा। इकरारनाम न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा ऑफर निरस्त किया जा कर अमानत राशि राजसात की जावेगी जिसमी स्मपूर्ण जवाबदारी आफरदाता की होगी। अनुबंध करने पंश्चात जारी कार्यादेश के 07 दिवस अन्दर विषयांकित कार्य प्रारंभ करना होगा।
4. तालाबों सह उद्यानों के रखरखाव का कार्य लगातार 05 वर्षो के लिए एन.जी.ओ., दरदाता, समूह, व्यक्ति व एजेंसी को करना होगा। प्रथमतः 01 वर्ष के लिए अनुबंध किया जावेगा तत्पश्चात सफलता पूर्वक कार्य संपादन पूर्ण करने पर क्रमशः 02 बार 02 वर्ष के लिए अनुबंध का नवीनीकरण किया जा सकेगा।
5. तालाब सफाई एवं संधारण के साथ एजेंसी तालाब परिसर में निगम अधिकारी द्वारा चिन्हित स्थल पर 10X8 फीट के 10 विज्ञापन बोर्ड प्रदर्शित कर सकेगा।
6. विज्ञापन बोर्ड पर व्यय का वहन स्वयं एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
7. तालाब सह उद्यान परिसर में नागरिकों की सुविधा एवं मनोरंजन की दृष्टि से एजेंसी विभिन्न मनोरंजन गतिविधियां संचालित कर सकेगा/वोटिंग, झूला, मिनी ट्रेन, टम्पोलिन आदि स्थापित कर आय के साधन में वृद्धि कर सकेगा। उक्त अतिरिक्त गतिविधियों पर व्यय एजेंसी द्वारा किया जाएगा, किन्तु प्राप्त राजस्व का कुछ हिस्सा नगर निगम भिलाई को देय होगा। जोकि नगर निगम द्वारा तय किया जाएगा।
8. आफरदाता तालाब परिसर मे चौपाटी विकास योजनांतर्गत पृथक से प्रस्ताव संलग्न कर निगम की अनुमति से निर्धारित स्थल पर वेंडर जोन चयन कर वहां फूड कोर्ट चला सकेगा।

Scanned with CamScanner

9. उल्लेखित तालाबों सह उद्यानों का संपूर्ण स्वामित्व नगर पालिक निगम भिलाई का होगा।
10. तालाब की देख–रेख, साफ–सफाई, संधारण एवं सौन्दर्यीकरण आदि कार्य ऑफर दाता को स्वयं व्यय से करना होगा।
11. तालाबों सह उद्यानों में किसी तरह के नये कार्य, सौन्दर्यीकरण कार्य करने के पूर्व निगम से योजना प्रस्तुत कर पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। एजेंसी को केयर टेकर रूम एवं डेली निड्स सामग्री विक्रय हेतु एक नग गुमटी स्थापित करने की अनुमति अनुबंध उपरांत प्रदान की जाएगी।
12. तालाबों सह उद्यानों की परिसीमा में कोई परिवर्तन नही किया जा सकेगा।
13. तालाबों सह उद्यानों में विद्युत व्यय का वहन ऑफर दाता द्वारा किया जावेगा।
14. संधारण कार्य पर हुये व्यय आदि की मांग किये जाने पर मान्य नहीं होगा।
15. तालाबों सह उद्यानों के रख–रखाव संबंधी कार्यो में किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति की जिम्मेदारी समाज की होगी एवं दी गई अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
16. उल्लेखित कार्य में नगर पालिक निगम भिलाई का दिशा निर्देश, नियम एवं शर्ते एजेंसी को सर्वमान्य होगा।
17. उक्त तालाबों सह उद्यानों में आफरदाता कोई स्थायी निर्माण नही करेगा।
18. तालाब पूर्णतः सार्वजनिक होगा जिसका उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जावेगा।
19. तालाबों सह उद्यानों में मछली पालन व्यवसाय किया जाना प्रतिबंधित होगा।
20. तालाबों सह उद्यानों में किसी भी प्रकार की असमाजिक गतिविधि तथा कोई नशा इत्यादि वर्जित होगा एवं उपरोक्त किसी भी प्रकार की गतिविधि की स्थिति में आफरदाता की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
21. कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दुर्घटना, पशुधन, जनधन की हानि की जिम्मेदारी एजेंसी ऑफर दाता की होगी।
22. स्वच्छ भारत मिशन के तहत कम्पोस्ट पिट का निर्माण एवं सूखे/गीले कचरे का निपटान करने की व्यवस्था करनी होगी।
23. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

जोन आयुक्त
जोन–03
नगर पालिक निगम,
भिलाई

Scanned with CamScanner

कार्यालय,नगर पालिक निगम,भिलाई
जोन– 3 मदरटेरेसा नगर

क0/जोन–3/न0नि0/2023/1254 भिलाई, दिनांक 27/02/2023

प्रति,

जनसम्पर्क अधिकारी
नगर पालिक निगम,
भिलाई

विषयः– रूचि की अभिव्यक्ति ऑफर आंमत्रण सूचना का प्रकाशन बाबत्।

नगर पालिक निगम, भिलाई में जोन क0–3 से संबंधित संलग्न रूचि की अभिव्यक्ति ऑफर आंमत्रण सूचना का प्रकाशन नियमानुसार दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराकर प्रकाशित विज्ञापन की प्रति उपलब्ध करावें।

संलग्नः–1. रूचि की अभिव्यक्ति सूचना की प्रति

जोन आयुक्त
जोन–03
नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ0 क0/जोन–3/न0नि0/2023/ भिलाई, दिनांक / / 2023

प्रतिलिपिः–

1. प्रोग्रामर, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नवा रायपुर को सूचनार्थ एवं www.uad.cg.gov.in and tender-uad@cg.gov.in में अपलोड करने का कष्ट करेगें ।

sd
जोन आयुक्त
जोन–03
नगर पालिक निगम, भिलाई

Scanned with CamScanner